संख्या– 685 /38–4–2012–13ब /2006

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग।

सेवा में,

1– आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4, लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 2012

विषयः जीरो बेस बजटिंग के आधार पर योजनाओं की समीक्षा उपरान्त ग्राम्य विकास विभाग की महामाया आवास योजना को समाप्त किया जाना।

महोदय,

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के आवास विहीन पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु ग्राम्य विकास अनुभाग–8 के शासनादेश संख्या–1785/38–8–2007–13ब/2006, दिनांक 10.09.2007 के द्वारा राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से महामाया आवास योजना संचालित की गयी थी।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामाया आवास योजना के सीमित आच्छादन के दृष्टिगत योजना को संचालित रखने का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महामाया आवास योजना को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 685 (1)/38–4–2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– प्रमुख सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7– अपर आयुक्त (कार्यक्रम) ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
8– अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
9– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
10– समस्त परियोजना निदेशक, उ0प्र0।
11– समस्त मुख्य/वरिष्ठ वित्त लेखाधिकारी, कोषागार, उ0प्र0।
12– समस्त अनुभाग अधिकारी, ग्राम्य विभाग विभाग, उ0प्र0 शासन।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार ओझा)
विशेष सचिव।